कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांकः स्था./प.145/2020/31 दिनांकः 08.02.2020

-:: विज्ञप्ति ::-

करौली न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदो पर सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.18 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांकः 159 दिनांक 08.01.19, पत्रांक 1529 दिनांक 26.03.19, पत्रांक 2687 दिनांक 19.06.19 एवं पत्रांक 1287 दिनांक 30.01.2020 की अनुपालना में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2020 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाऐं लिये जाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिकों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

शर्ते :-

1. उक्त पदो पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि कार्मिक विभाग के उक्तांकित परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में संलग्न परिशिष्ठ-क के अनुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30वां भाग काटा जायेगा।
3. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन-पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशो के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।

आवेदन प्रक्रिया :-

विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन-पत्र विहित प्रारूप में पूर्णरूप से भरा होना चाहिए।

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति
3. पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति
4. संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र

आयु :-

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विज्ञप्ति तिथि को 65 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए।

अंतिम तिथि :-

आवेदक संपूर्ण भरा हुआ **आवेदन–पत्र दिनांक 10 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020** को कार्यालय समय तक व्यक्तिशः / साधारण / रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 20 फरवरी 2020 को कार्यालय समय पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने का पता :-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला न्यायालय, करौली (राज0)
पिनकोड–322241

आवेदन शुल्क :-

उक्त रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदक द्वारा किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं दिया जावें। यह पूर्णतया निःशुल्क है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
1. आवेदन–पत्र प्रारूप
2. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का प्रारूप

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज.)

क्रमांकः स्था. / प.145 / 2020 / 944-51
दिनांकः 08.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजस्थान राज्य...
4. जिला कलक्टर, करौली को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु
5. करौली न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय ....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, करौली को अखबार में प्रकाशन हेतु
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, करौली को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा
9. आदेश / संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज.)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन–पत्र।।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. पूर्ण पता : ....

   ....

   ....
5. आयु (दिनांक 08.02.20 को) : ....वर्ष..................... माह .... दिन
6. अर्हताएं : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....

   ....

   ....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन : ....
    (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे / पे–लेवल)
    (एलपीसी संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि : ....
    (पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान : ....
    (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
    (संलग्नानुसार है)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती................................ पुत्र/पत्नी.. जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती .... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) .... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री श्री/श्रीमती .... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील